फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम — जगदीश बनाम नानूलाल

संख्या 205/18/2007

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/6/94.	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुयी है। अप्रार्थी/वादी की ओर से अधि॰ श्री रघुवीर सिंह राठौड़ उपस्थित। प्रतिवादी सं ① ता ③/प्रार्थी की ओर से अधि॰ श्री के॰आर॰शर्मा हाजिर। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 लगा॰ 3 ने अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नं. 112/1 रकबा 1.8084 है॰, ग्राम हरनाथपुरा, पटवार हलका निवारू, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झोटवाड़ा, तहसील-जयपुर में से वादी ने अपने हिस्से 1/5 को जरिए इकरारनामा दिनांक 30/6/1994 को भैरव गृह निर्माण सहकारी	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

अजीज बनाम बाबूलाल

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 18/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		समिति को बेचान कर दिया। वर्तमान में मौके पर आवासीय रूप से मकान बनाकर अन्य सदस्य निवास करके उपयोग उपभोग कर रहे हैं इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि की नौमियत वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय है। इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण दावा खारिज करने योग्य है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी। वादी द्वारा स्वयं अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति को दिनांक दिनांक 30/6/1994 को किया जा चुका है। ~~अतः प्रार्थनापत्र~~ ऐसी स्थिति में बिना वाद कारण के दावा प्रस्तुत किया गया है अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वाद-पत्र को निरस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम नानूलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

संख्या 646/18/24

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	30/7/24	अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में जवाबी तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/वादी ने भूमि खसरा नं. 112 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा में से तकासमे के पश्चात् परिवर्तित खसरा नं. 1141 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा में से वादी का हिस्सा 1/5 है, उसमें से वादी ने 1 बीघा भूमि का ही इकरारनामा मेरव गृह निर्माण सहकारी समिति के साथ किया है। अर्थात् वादी का उक्त विवादित भूमि में अपने 1/5 हिस्से के अनुसार 01 बीघा 8 बिस्वा भूमि बनती है और वादी ने उक्त भूमि में से 01 बीघा भूमि का ही इकरारनामा किया है। शेष 08 बिस्वा भूमि में से 04 बिस्वा भूमि में वादी का पुख्ता मकान एवं शेष 04 बिस्वा भूमि पर काश्त कर	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

प्रकरण बनाम नाम

संख्या 6100/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		रहा है। इसलिए वादी ने नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष तकासमे का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त विवादित भूमि राजस्व भू- अभिलेखों में कृषि- भूमि अंकित है। कृषि भूमि का विभाजन करने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत की - 1. RRT - 2024 (1) Page 403 2. RRT - 2024 (1) Page 631 3. RRT - 2024 (1) Page 58 4. RRT - 2024 (1) Page 63. उभयपक्षकारान अधिवक्तागण [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जगदीश बनाम नानूलाल

संख्या 6400-18124

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/7/24	की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड का गहनता-पूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया है, जिसमें विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1141, रकबा 1.8 है० में हिस्सा 1/5 यानी रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का खाता पृथक करवाकर Meats & Bounds के आधार पर खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की है। वादी/अप्रार्थी ने विवादित भूमि में से अपने सम्पूर्ण हिस्से को भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया था, जिस पर सागर विहार कॉलोनी	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

जिम्मेद बनाम नाथूलाल

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 9668-18144

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		विकसित कर दी गयी है। वादी/अप्रार्थी ने अपने जबावी कथन में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 23/6/1994 को वादी ने अपने आवासीय मकान के पास खाली जमीन को छोड़कर शेष भूमि रकबा 01 बीघा का इकरारनामा किया है, भूमि के अन्य हिस्से का बेचान नहीं किया है। वादी की शेष 8 बीस्वा भूमि रही है, जिसमें से 4 बीस्वा भूमि में पुख्ता मकान बना लिया है। अतः वादी/अप्रार्थी के कथन से स्पष्ट है कि वादी ने विवादित भूमि में अधिकांश हिस्से का बेचान कर दिया है, ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के हिस्सा 1/5 का विभाजन

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जगदीश बनाम नानूलाल

संख्या 6(क) ८-(क)२४

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	३०/७/२४	करवाकर पृथक से खाता कायम करवाये जाने हेतु वादी को कोई वाद-कारण उत्पन्न होना सिद्ध नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 लगा 3 का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर, वाद-कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक ३०/७/२४ को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	